ग्राम पंचायत जंगलरोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 **प्रस्तावना :-**

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/**2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जंगलरोपा, विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत थे :-**

प्रधान :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्रीमति कमला देवी	01.04.13 से 22.01.16
2	श्रीमति सपना कुमारी	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र. सं.	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.13 से 19.07.13
2	श्री अश्वनी कुमार	19.07.13 से 15.09.13
3	श्री नीरज डोगरा	15.09.13 से 31.03.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जंगलरोपा के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	5	पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना	-
2	6	अनुदान का उपयोग न करना	13.69

3	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	2.89
4	9	भुगतान से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना	0.59
5	10	भुगतान की पावतियाँ प्रस्तुत न करना	0.58
6	12	अग्रिम राशि वापिस न करना	1.03
7	14	खाता-'ख" (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता-'क" (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना	-

भाग-दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत जंगलरोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 13.07.16 से 16.07.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया ।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	05/2013	03/2014
2014-15	10/2014	10/2014
2015-16	08/2015	05/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत जंगलरोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 160 दिनांक 16.07.16 द्वारा

अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-171009 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4 वितीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत जंगलरोपा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत जंगलरोपा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	52797.59	71067	123864.59	85340	38524.59
2014-15	38524.59	58178	96702.59	11981.50	84721.09
2015-16	84721.09	84954	169675.09	37793	131882.09

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत जंगलरोपा के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	462239.75	3578346	4040585.75	3458912.70	581673.05
2014-15	581673.05	3247188.75	3828861.80	2838418.15	990443.65
2015-16	990443.65	2670266	3660709.65	2291471.82	1369237.83

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 131882/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खाते में शेष : ₹ 131184/-

(PNB 29144)

हस्तगत राशि : ₹ 698/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 1369237.83/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1369237.83/-

बैंक खाता संख्या	राशि
Indira aavas Yojna 54183	1286.92
General Fund 46272	273324.72
MNREGA 43910	0
13TH FC 44812	730018.47

SBM **61943**	**364607.72**
कुल राशि	**1369237.83**

4.2 <u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना</u> :-

ग्राम पंचायत जंगलरोपा की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था । अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है । अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

पैरा-5 <u>पंचायत द्वारा गृह कर की वसूली न करना</u> :-

गृह कर पंचायत की आय का मुख्य स्त्रौत है । लेकिन जांच में पाया कि पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा इसकी शत प्रतिशत वसूली नहीं की जा रही है जिससे पंचायत के विकास कार्य बाधित हो रहे हैं क्योंकि यदि गृह कर की वसूली यथासमय में की होती तो इसका प्रयोग गाँव के विकास हेतु किया जा सकता था। अतः गृह कर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें। गृह कर की कम वसूली का विवरण निम्नलिखित है :

1 <u>वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में वार्ड संख्या 4 (बकारटी) से गृह कर के रूप में ₹ 4260/- की वसूली न करना :-</u>

जांच में पाया कि बार्ड संख्या 4 (बकारटी) के परिवार रजिस्टर में 175 परिवार पंजीकृत थे अतः ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित गृह कर की दर ₹ 30/- वार्षिक दर के आधार पर वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में ₹10500/- (175x30x2) की वसूली करना अपेक्षित थी जबकि रसीद संख्या 345801 से 345825 , 345828 से 345836 , 75801 से 75827 व 75860 से 75901 माह 03/15 व 02/16 के अन्तर्गत बार्ड 4 के केवल 105 परिवारों से ₹6240/- की वसूली की गई थी अर्थात ₹4260/- की कम वसूली की गई थी जिस बारे स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना

सुनिश्चित करें।

2 जांच में पाया कि वर्ष 2015-16 में ग्राम पंचायत के विभिन्न वार्डों से गृह कर की वसूली नहीं की गई थी जो कि एक गम्भीर अनियमितता है अतः वर्ष 2015-16 में नियमों के अनुसार गृह कर की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करें।

3 जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था जिससे पता चल सके कि गृह कर की कितनी राशि किसी निश्चित अवधि में वसूली हेतु शेष है।

अतः उक्त बकाया गृह कर की राशि को शीघ्र वसूलना सुनिश्चित करते हुए भविष्य में गृह कर के रजिस्टर को भी तैयार करना सुनिश्चित करें।

6 <u>अनुदान ₹ 13.69 लाख का उपयोग न करना</u> :-

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1369238/- उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा । अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये ।

7 <u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 /- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था । निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-2" में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका । अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाये।

8 **<u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.89 /-लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) एवं 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने एवं नियम 69 , 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है । व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹ 288613/- के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था , जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है । अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने एवं स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना एवं सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें ।

9 **<u>₹ 0.59 /-लाख के भुगतान से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना</u> :-**

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित भुगतानों से संबन्धित अभिलेख आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए जिसके अभाव में व्यय की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में इन व्ययों से संबन्धित अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक व्यय से संबन्धित अभिलेख वाउचर के साथ संलग्न करना भी सुनिश्चित करें। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है :-

वाउचर संख्या	भुगतान का विवरण	सामग्री	राशि
MNREGA			
204 दिनांक 15.03.14 Cash Book Page-**90**	Bill No 0045163 Dated **13.03.14** HPSCS Corp.	**150 बैग सीमेंट**	**30150.00**
205 दिनांक 15.03.14 Cash Book Page-**90**	**सीमेंट की ढुलवाई**	**-**	**2700.00**
50 दिनांक 09.10.14 Cash Book Page-**20**	**किराये के एवज में श्री रामेश्वर चन्द को भुगतान**	**-**	**500.00**
GENERAL CASH BOOK			

113 दिनांक 26.02.14 Cash Book Page-**100**	**-**	**100 बैग सीमेंट**	**20100.00**
114 दिनांक 26.02.14 Cash Book Page-**100**	**सीमेंट की ढुलवाई**	**-**	**1800.00**
- दिनांक 18.03.14 Cash Book Page-102 (13^{th} FC**)**	**-**	**-**	**3000.00**
- दिनांक 18.03.14 Cash Book Page-102 (Own Source**)**	**-**	**-**	**1221.00**
	कुल राशि		**59471.00**

10 <u>₹ 0.58 /-लाख के भुगतान की पावतियाँ प्रस्तुत न करना</u> :-

अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित भुगतानों की पावतियाँ आवश्यक जांच हेतु प्रस्तुत नहीं की गईं जिनके अभाव में भुगतानों की सत्यता की जांच नहीं की जा सकी। अतः आगामी अंकेक्षण में इन भुगतानों की पावतियाँ जांच हेतु प्रस्तुत करें अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रौत से करके पंचायत के खाते में जमा करना सुनिश्चित करें एवं भविष्य में प्रत्येक भुगतान की पावती वाउचर के साथ संलग्न करना भी सुनिश्चित करें। भुगतानों का विवरण निम्नलिखित है:-

वाउचर संख्या	भुगतान का विवरण	सामग्री	राशि
MNREGA **49 दिनांक 09.10.14**	Bill No 249 Dated 25.06.14 M/s Neelkanth Udyog, Ropa	**स्टील**	**8006.00**
2 दिनांक 26.05.15	**निर्माण सामग्री**	**-**	**16728.00**
3 दिनांक 26.05.15	**निर्माण सामग्री**	**-**	**16005.00**
4 दिनांक 26.05.15	**निर्माण सामग्री**	**-**	**17192.00**
	कुल राशि		**57931.00**

11 <u>निर्माण कार्य में ₹ 2000/- का अधिक भुगतान</u> :-

जांच में पाया कि निर्माण कार्य " सम्पर्क मार्ग PWD Road **से ठाकुर सिंह के घर की ओर गाँव बाडला " हेतु** ₹98000/- **की राशि प्राप्त हुई थी जिसका इन्द्राज सामान्य रोकड़ वही के पृष्ठ संख्या 13 दिनांक 27.03.15 में किया गया था जबकि माप पुस्तिका 6198 के पृष्ठ संख्या 37 के अनुसार इस कार्य हेतु** ₹100000/- **का व्यय किया गया था । अंकेक्षण के दौरान उक्त प्रकरण पंचायत सचिव के ध्यान में लाया गया था जिसकी अनुपालना में रसीद संख्या 346270 दिनांक 20.07.16 द्वारा** ₹ 2000/- **की वसूली करके दिनांक 20.07.16 को**

पंचायत के खाते में जमा कर दिये गए थे । अतः भविष्य में इस प्रकार की गलती को न दोहराया जाए।

12 **₹103095/- की अग्रिम राशि वापिस न करना :-**

जांच में पाया कि निम्नविवरणानुसार राशि समय-2 पर पंचायत के विभिन्न खातों से मनरेगा के विकास कार्यों हेतु अग्रिम के रूप में मनरेगा निधि को दी गई थी लेकिन लम्बी अवधि व्यतीत होने के पश्चात भी यह राशि संबन्धित खातों में वापिस जमा नहीं की गई थी जिससे पंचायत के अन्य विकास कार्य वाधित हो रहे हैं। अतः शीघ्र इस राशि को पंचायत के संबन्धित खातों में जमा करना सुनिश्चित करें ताकि इसका प्रयोग उनके उदेश्यों के अनुरूप किया जा सके।

खातों का नाम	मनरेगा को भुगतान की गई राशि	मनरेगा से प्राप्त राशि	कुल वापिस करने योग्य राशि
2013-14			
13वां वित आयोग	262328.00	-	262328.00
सामान्य रोकड़ वही	239570.00	69550.00	432348.00
2014-15			
13वां वित आयोग	-	231013.00	201335.00
सामान्य रोकड़ वही	23200.00	121440.00	103095.00

13 **विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना ।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर ।
5. रसीद बुकों का रख-रखाब भण्डार रजिस्टर में न करना ।
6. गृह कर रजिस्टर का रख-रखाब न करना ।

14 **<u>खाता ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता-ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता-ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

15 **<u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-**

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

16 **<u>लघु आपति विवरणिका</u> :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।**

17 **निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।**

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(6) **8**/2016—खण्ड—1—5135—5138 दिनाँकः 24.09.2016
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत जंगलरोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.